तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एल0आर0/5946/2003 ग्राम पंचायत बनाम भूरसिंह	

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह उप राजकीय अधिवक्ता।

आदेश

दिनांकः 13.11.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के आदेश दिनांक 18–9–2003 जो कि प्रकरण संख्या 19/2003 उनवानी भूरसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने नियमन कमेटी मुकाम मेवानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा की अध्यक्षता में दिनांक 26–6–2002 को पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट/प्रार्थी ने ग्राम मेवानगर में स्थित खसरा सं0 243/4 में से 10 बीघा भूमि पर अपना अतिक्रमण सम्वत् 2046 अर्थात 15–7–1984 के पूर्व से होना जाहिर किया है और स्वयं को भूमिहीन बताते हुए उक्त भूमि अपने पक्ष में नियमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रशासन गांवों के संग 2001 कैम्प मेवानगर के दौरान प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अपनी रिपोर्ट दिनांक 21–12–2001 में पटवारी मेवानगर एवं भू0अ0 निरीक्षक तिलवाड़ ने लगातार कब्जे, भूमि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिजर्व नहीं होने, मौके पर भूमि काबिल काश्त होने आदि तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपीलांट के हक में रिपोर्ट दी व 39 बीघा तक भूमि आवंटन (जरीब 132 फीट होने के आधार पर) आदेश होना भी जाहिर किया। प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष पेश हुआ। दिनांक 26–6–2002 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–9–2003 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण नियमन योग्य पाये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जिस निर्णय दिनांक 18–9–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि वादग्रस्त आराजी पर धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही चली थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5946/2003 ग्राम पंचायत बनाम भूरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार नहीं होते हुए भी नियमन का आदेश कर दिया जबकि ज्यादा से ज्यादा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर सकते थे। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सैक्शन 4 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि आवंटित/नियमन नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने से भी नियमन नहीं हो सकता है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1987 आर0आर0डी0 पेज 54 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 5– प्रतिउत्तर में उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 2 का कथन है कि अपीलांट का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2056–57 से लगातार अतिक्रमण दर्शाया गया है। धारा 20 के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन के संबंध में प्रकरण रखा जाता है। प्रशासन गांव के संग अभियान में आवेदन पत्र पर पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट ली गयी है। ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव नहीं था। भूमि खाली थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश उचित एवं युक्तियुक्त होने से अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है। 6– विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– नियमन कमेटी मुकाम मेवानगर द्वारा दिनांक 26–6–2002 को उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा की अध्यक्षता में आदेश पारित किया कि सरपंच मेवानगर के बताए अनुसार भूमि अन्य प्रयोजनार्थ (सार्वजनिक) प्रस्तावित की जा चुकी है। पत्रावली में संलग्न नक्शानुसार भूमि सड़क के नजदीक स्थित होने से सर्व सहमति से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित होने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। 8– अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 18–9–2003 को अपने निर्णय में लिखा है कि प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा सं0 243/4 के कुल रकबे में से अपीलांट के कब्जे काश्त वाली 10 बीघा भूमि का अपीलांट के पक्ष में नियमानुसार नियमन किया जावें। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शहीद स्मारक हेतु आवंटित/आरक्षित भूमि में यदि अपीलांट के कब्जे की भूमि का कोई अंश शामिल हो तो उसके कम करते हुए, अर्थात शहीद स्मारक हेतु आवंटित/आरक्षित भूमि यथावत रखते हुए अपीलांट के कब्जे की शेष बची भूमि का ही नियमानुसार नियमन किया जावें। 9– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पटवारी मेवानगर की रिपोर्ट में अंकित है कि भूमि की किस्म गै0मु0 धोरा रेकार्ड में दर्ज है। भूमि नाकोड़ा रोड़ से लगी हुई है। 10– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि प्रार्थी भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित भूमि नहीं है और न ही रेलवे सीमा,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5946/2003 ग्राम पंचायत बनाम भूरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजपथ या सडक सीमा के भीतर स्थित है जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21–1–2002 में स्पष्ट अंकित है कि भूमि की किस्म गै0मु0 धोरा है तथा नाकोड़ा रोड़ से लगती हुई है। 11– नियमन कमेटी ने सड़क के नजदीक होने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया तथा नियमन योग्य नहीं होने से खारिज किया है। 12– नियमन कमेटी नियमन करने हेतु बाध्य नहीं है लेकिन अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट के पक्ष में नियमानुसार नियमन किया जावें। जब नियमानुसार नियमन करना नियमन कमेटी ने उचित नहीं पाया तो विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है। 13– अतः उपरोक्तानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2003 निरस्त किया जाता है तथा नियमन कमेटी का आदेश दिनांक 26–6–2002 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द माहेश्वरी) सदस्य	